कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर

क्रमांक :–प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/2274 दिनांक :07 फरवरी, 2021

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई–नीलामी आमंत्रण सूचना :–

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य में आबकारी बन्दोबस्त हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांक प.4(1)वित्त/आब/2021 दिनांक 06.02.2021 द्वारा जारी आबकारी नीति 2021–22 एवं प. 4(7)वित्त/आब/2020 दिनांक 23.01.2021 के निर्देशानुसार भारत सरकार के उपक्रम **एम.एस.टी.सी.** लिमिटेड के माध्यम से ई–नीलामी (ई–बोली) प्रक्रिया से करने हेतु विभिन्न चरणों में निम्नानुसार ई–बोली आमंत्रित की जानी है :–

क्रं सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	23.02.2021	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
2	24.02.2021	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
3	25.02.2021	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
4	26.02.2021	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
5	27.02.2021	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी। बोलीदाता को पिछली बोली राशि से कम से कम रू. 5000/– बढाकर बोली लगानी होगी। एक बार में पिछली अधिकतम बोली (Last Bid Amount) की राशि से 5 प्रतिशत से अधिक की बोली नही लगाई जा सकेगी।
3. देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) का जिलेवार व नीलामी की दिनांकवार विवरण एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexcise.gov.in** एवं एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर दिनांक 11.02.2021 से उपलब्ध रहेगा।
4. ई–नीलांमी हेतु सर्वप्रथम इच्छुक बोलीदाता को एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर ऑनलाईन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा। जो आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2021–22 के लिए मान्य होगा।
5. **पंजीकरणः–** बोलीदाता को एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाईट पर पंजीकरण के लिये पेनकार्ड या आधार कार्ड का नम्बर इन्द्राज करना होगा। बोलीदाता द्वारा इन दस्तावेज के नम्बर इन्द्राज करने पर लॉग इन आई.डी. व पासवार्ड जनरेट कर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर सकेगा। पंजीकरण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। साथ ही बोलीदाता को पहचान एवं पते के प्रमाण स्वरूप आधार कार्ड या निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र या ड्राईविंग लाईसेंस की स्वः प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी।
6. **आवेदनः–** आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 12.02.2021 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ हो जाएगी तथा प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व को रात 11:59 पी.एम. पर बंद हो जाऐगी। उदाहरण के लिए नीलामी के प्रथम चरण की नीलामी दिवस (23.02.2021) के लिए आवेदन 22.02.2021 को रात 11:59 पी.एम. पर बंद हो जाऐगा।

Scanned by CamScanner

7. आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि एम.एस.टी.सी. जयपुर के खाते में निर्धारित प्रकिया के तहत जमा करानी होगी। जिसके आधार पर वह ई–नीलामी में भाग ले सकेगा। आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले (समय रात 11:59 पी.एम. तक) तक एम.एस.टी.सी. जयपुर के खाते में जमा हो जानी चाहिये तभी बोलीदाता नीलामी में भाग ले सकेगा।
8. आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदाय (Non-refundable) होगी।
9. आवेदन शुल्क व अमानत राशि ऑनलाईन/इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।
10. बोलीदाता एक से अधिक दुकानों के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकेगा। एक से अधिक दुकानों की नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को प्रत्येक दुकान हेतु पृथक–पृथक आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करानी होगी।
11. वर्ष 2021–22 के लिये देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के लिए आवेदन शुल्क व अमानत राशि निम्नानुसार निर्धारित है :–

क्रं सं.	दुकानों की श्रेणी	आवेदन शुल्क (रूपये में)	अमानत राशि (रूपये में)
1	वर्ष 2021–22 के लिए 50 लाख रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	40000/–	50000/–
2	वर्ष 2021–22 के लिए 50 लाख रूपये से अधिक एवं 02 करोड तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	50000/–	100000/–
3	वर्ष 2021–22 के लिए 02 करोड रूपये से अधिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	60000/–	200000/–

12. बोलीदाता को संबंधित मदिरा दुकान (कम्पोजिट दुकान) के लिए निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस को ध्यान में रखकर बोली लगानी होगी। प्रत्येक दुकान (कम्पोजिट दुकान) के लिए निर्धारित **'न्यूनतम रिजर्व प्राईस'** एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के पोर्टल **https://www.mstcecommerce.com** पर प्रदर्शित रहेगी।
13. उच्चतम बोलीदाता (H1) को एम.एस.टी.सी. द्वारा बोली अंतिम (Finalization of Bid) होने की सूचना दी जायेगी।
14. दुकानवार नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली सम्बन्धित दुकान के लिये **'वार्षिक गारण्टी राशि'** के रूप में निर्धारित की जायेगी।
15. सफल बोलीदाता को मदिरा दुकान के लिए स्वीकृत वार्षिक गारण्टी राशि की 04 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (Security Deposit) व अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि (08 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत राशि बोली स्वीकार्य होने की दिनांक (ई–नीलामी दिवस को छोडकर) से तीन दिवस में एवं शेष राशि 07 दिवस में जमा करानी होगी।
16. सफल बोलीदाता द्वारा आबकारी नीति 2021–22 के अनुसार निर्धारित कम्पोजिट फीस दिनांक 31.03.2021 तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी।
17. सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि (Earnest Money) को संबंधित मदिरा दुकान की धरोहर राशि पेटे समायोजन किया जा सकेगा।
18. निर्धारित समय में शेष धरोहर राशि एवं अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।

Scanned by CamScanner

19. सफल बोलीदाता (H1) के किसी कारण से बेक आउट होने पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) को सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस रिटेल ऑफ दुकान (कम्पोजिट दुकान) को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जायेगी।

20. द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमति ना देने पर तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) को प्रथम सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस रिटेल ऑफ दुकान (कम्पोजिट दुकान) को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।

21. प्रथम (H1), द्वितीय (H2) व तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया में बेक आउट होने पर नये सिरे से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पुनः बन्दोबस्त की कार्यवाही की जाऐगी।

22. नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर ऑनलाईन बोली में अधिकतम राशि देने वाले बोलीदाता को सफल आवेदक के रूप में चयन किया जायेगा, परन्तु एक व्यक्ति एक जिले में दो दुकानों से अधिक एवं सम्पूर्ण राज्य में पांच दुकानों से अधिक नहीं ले सकेगा। यह शर्त राज्य सरकार के मदिरा होलसेलर राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लि. पर लागू नहीं होगी।

23. बोलीदाता की किसी आबकारी जिले में दो से अधिक दुकानो के लिए उच्चतम बोली रहने पर केवल दो दुकानो के लिए ही अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जाऐगी। किसी बोलीदाता की राज्य में पांच से अधिक दुकानो के लिए उच्चतम बोली रहने पर केवल पांच दुकानो के लिए ही अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जाऐगी। बोलीदाता का यह दायित्व होगा की राज्य के विभिन्न जिलों में उसके द्वारा लगाई गई बोलीयो में से रही उच्चतम बोली की सूचना (दुकान व आबकारी वृत्तवार) सभी संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को नीलामी के 03 दिवस के भीतर सूचित किया जाऐगा।

यदि आबकारी जिले में किसी बोलीदाता की दो तथा राज्य में पांच से अधिक दुकानों के लिए उच्चतम बोली रहती है तो बोलीदाता को संबंधित जिले में वे दो दुकाने व राज्य में वे पांच दुकानें स्वीकृत की जाऐगी जिनकी वार्षिक गारण्टी राशि अधिकतम हो। शेष दुकानो हेतु द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) को सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस रिटेल ऑफ दुकान (कम्पोजिट दुकान) को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जायेगी।

द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमति ना देने पर तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) को प्रथम सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस रिटेल ऑफ दुकान (कम्पोजिट दुकान) को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखित

Scanned by CamScanner

प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।

प्रथम (H1), द्वितीय (H2) व तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया में बेक आउट होने पर नये सिरे से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पुनः बन्दोबस्त की कार्यवाही की जाऐगी।

24. नीलामी समाप्ति के पश्चात प्रथम तीन उच्चतम बोलीदाताओं (H1,H2 व H3) की अमानत राशि के अतिरिक्त शेष सभी बोलीदाताओ की अमानत राशि एम.एस.टी.सी. लिमिटेड द्वारा संबधित के खाते में स्थानान्तरित कर दी जाएगी।
25. प्रथम तीन उच्चतम बोलीदाता में से प्रथम बोलीदाता द्वारा देय समस्त राशियां जमा कराने एवं उसके पक्ष में अनुज्ञापत्र जारी होने के पश्चात संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार शेष दोनों बोलीदाताओं की अमानत राशि एम.एस.टी.सी. लिमिटेड द्वारा संबधित के खाते में स्थानान्तरित कर दी जाएगी।
26. ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://www.rajexcise.gov.in एवं एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध समस्त दिशा–निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
27. बोलीदाता कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे के माध्यम से ई–नीलामी में भाग ले सकता है।
28. इस सूचना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट https://www.rajexcise.gov.in एवं एम.एस.टी.सी.लि. की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर दिनांक 11.02.2021 से उपलब्ध रहेगा।
29. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।
30. रिटेल ऑफ मदिरा कम्पोजिट दुकानों के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई–नीलामी में भाग ले सकेंगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी नीति वर्ष 2021–22 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो।
31. आबकारी बंदोबस्त की अवधि 2021–22 (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022) के लिए होगी।
32. ई–नीलामी के संबंध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट https://www.rajexcise.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
33. ई–नीलामी के संबंध में अन्य प्रावधान आबकारी नीति 2021–22 के अनुसार रहेगे।
34. ई–नीलामी के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला ही रहेगा।

07.02.2021

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।

Scanned by CamScanner

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर

क्रमांक :–प.32(बी)(1)आब / एल / 2021–22 / 2276 दिनांक :07 फरवरी, 2021

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई–नीलामी आमंत्रण सूचना :–

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प.32(बी)(1)आब / एल / 2021–22 / 2274 दिनांक 07.02.2021 द्वारा जारी ई–नीलामी आमंत्रण सूचना में बिन्दू संख्या 15 को निम्नलिखित प्रकार से पढा जाऐ।

सफल बोलीदाता को मदिरा दुकान के लिए स्वीकृत वार्षिक गारण्टी राशि की 04 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (Security Deposit) का 50 प्रतिशत राशि बोली स्वीकार्य होने की दिनांक (ई–नीलामी दिवस को छोडकर) से तीन दिवस में एवं शेष राशि 07 दिवस_में जमा करानी होगी। अनुज्ञाधारी को वर्ष 2021–22 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का 8 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में दिनांक 01.04.2021 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।

Scanned with CamScanner